राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या 83 / 2024

शकुंतला शेखावत — अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, वित्त (कर विभाग), राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. श्री मुरलीधर शर्मा, एक्स–चैयरमैंन, नगर परिषद्, चूरू।

— प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 01.03.2024
आदेश की दिनांक : 06.3.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री हेमन्त श्रीमाली, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी वर्तमान में वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर वृत्त, चूरू संभाग बीकानेर में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथन नियुक्ति इन्स्पेक्टर के पद पर सीटीओ, चूरू में दिनांक 01.06.2006 को हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 31.10.2021 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट–पंचम, रतनगढ़, चूरू से सर्किल चूरू में पदोन्नति पर राम कुमार के स्थान पर किया गया। सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट–प्रथन, रतनगढ़, चूरू में किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.10.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को सीटीओ से एसीटीओ के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी को सर्किल, रतनगढ़, चूरू से सर्कील चूरू में किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–9) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त, चूरू संभाग बीकानेर से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–बी, हनुमानगढ़, संभाग, श्रीगंगानगर में रिक्त पद पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को समायोजित करने के उद्देश्य से 250 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी यूरिक एसिड, ब्लड प्रेशर, और यूटीआई की समस्या से पीड़ित है (अनुलग्नक–6)। अपीलार्थी को

नियमित चिकित्सा जांच की आवश्यकता के लिए चूरू, जयपुर, दिल्ली में जाना पड़ता है। अपीलार्थी के माता–पिता काफी वृद्ध है। अपीलार्थी के बच्चे शहर से बाहर अध्ययनरत है। वृद्ध माता–पिता की देखभाल अपीलार्थी के द्वारा ही की जाती है। उनकी देखभाल करने वाला परिवार में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त, चूरू संभाग बीकानेर में कार्यरत रखे जाने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर वृत्त, चूरू संभाग बीकानेर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त, चूरू संभाग बीकानेर से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–बी, हनुमानगढ़, संभाग, श्रीगंगानगर में प्रशासनिक आवश्यकता से राज्यहित में किया गया है। **डॉ० अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003 (1) डब्लू. एल.सी. (राज.) 438** का निर्णय उदृत किया गया है। हमने इस कथन पर विचार किया कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 का स्थानान्तरण/पदस्थापन सहायक आयुक्त वृत्त, चूरू के पद पर किया गया है। यह आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बिना किसी उचित कारण के निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 को अनुचित फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। हमारे मत में डॉ० अजय कुमार शर्मा के केस के तथ्य भिन्न हैं और इस निर्णय से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है।

5. विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी स्वास्थ्य कारणों से व्याधि ग्रस्त होने के कारण उन्हें नियमित चिकित्सा परीक्षण एवं चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता रहती है, अतः आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 को निरस्त किया जावें। ऐसा स्थानान्तरण निरस्त किये जाने के संबंध में राजकीय विद्वान अधिवक्ता ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए जाहिर किया कि अपीलार्थी ने जो चिकित्सा दस्तावेज प्रस्तुत किये है कि अपीलार्थी ऐसे असाध्य रोग से ग्रसित नहीं है जो एक स्थान पर सेवारत रहने का कारण हो। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों में भी अपीलार्थी ग्रसित व्याध्यिों के कारण राहत पाने की अधिकारिणी नहीं होती है। अपीलार्थी मानसिक विकार

से ग्रस्त की बताई गई है तो चिकित्सा परामर्श के आधार पर चिकित्सा सेवाएँ प्राप्त की जा सकती है।

6. यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> "In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."

7. अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का 250 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य (डब्ल्यू.एल.सी. 2007 (2) 276)** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> "So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted.The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial- It does not involve any violation of service Rule."

8. अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, परन्तु हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय में **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस. कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:–

"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given ase and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representaion to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."

9. लिहाजा अपीलार्थी के स्थानान्तरण में कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य